

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 14/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 3 फरवरी 2020

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि.916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

तालिका

क्र.सं.	नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै: जुपिटर स्टांपिंगस, F-216(A), रोड सं. 10, वीकेआईए, जयपुर, राजस्थान-302013 और 3 अन्य.	फ़ा.सं . DRI/MZU/ C/Int-52/2019 दिनांक 27.08.2019.	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-III), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.
2.	मै: एवरग्रीन मेटल वर्कस, 13, 4 ^थ फ़ेस, बोम्मासांद्रा इंडस्ट्रियल एरिया, हेल्बागोदी, बेंगलुरु-560099 और 3 अन्य.	फ़ा.सं . DRI/MZU/ C/Int-51/2019 दिनांक 26.08.2019.	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-III), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	(तालिका के क्रम सं. 1 एवं 2 के लिए)
3.	1. मै: ट्रोइका एक्सपोर्टस 6 ^थ तल, 607,	फ़ा.सं . DRI/MZU/ D/1/2000	भूतपूर्व आयुक्त सीमा शुल्क	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन),

<p>एंबस्सी सेंटर, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021,</p> <p>2. श्री रमेश झवेरी, 603, जीवन विहार, मानव मंदिर रोड, वॉकेशर, मुंबई-400006,</p> <p>3. मै: शालिन एंटरप्राइसेस, गाला सं. A/4, सद्गुरु कम्पाउण्ड, लैंड सर्वे सं. 151, हिस्सा सं. 7, रहनल गाँव, भिवंडी, ठाणे,</p> <p>4. श्री मनहरलाल हुकमीचन्द वोरा, 801, रहेजा सेंटर, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021,</p> <p>5. मै: निप्पॉन बेयरिंग्स इंडिया, गाला सं. A/4, सद्गुरु कम्पाउण्ड, लैंड सर्वे सं. 151, हिस्सा सं. 7, रहनल गाँव, भिवंडी, ठाणे,</p> <p>6. श्री अश्विन मेहता, B-305, चंद्रलोक मानव मंदिर रोड, मलाबार हिल, मुंबई-400006,</p> <p>7. श्री नीलेश वी जोशी, ब्लॉक सं. 6, 3^{रा} तल, सुंदरम अपार्टमेंट्स,</p>	<p>दिनांक 16.07.2003. (De Novo proceedings ordered by CESTAT vide Order No. A/89385- 89393/17/CB दिनांक 08.08.2017)</p>	<p>(निर्यात संवर्धन), न्यू कस्टम हाउस, बल्लार्ड इस्टेट, मुंबई भूतपूर्व आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात संवर्धन), जवाहर कस्टम हाउस, न्हावा शेवा, रायगढ़</p>	<p>राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई</p>
--	---	---	--

	<p>रॉयल पार्क, यूनिवर्सिटी रोड, राजकोट,</p> <p>8. मै: श्रवण एंटरप्राइसेस, 2373, गोपीनाथ बिल्डिंग, श्रद्धानंद मार्ग, दिल्ली-110006</p>			
4.	<p>मै: गुप्ता ब्रदर्स, सं. 121, ब्रोडवे, चेन्नई और 2 अन्य.</p>	<p>फ़ा.सं . DRI/HQ-CI/ 50D/Int-12/2019-CI दिनांक 02.01.2020.</p>	<p>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई</p> <p>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़</p>	<p>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई</p>

[फा. स.DRI/HQ-CI/50D/CAA-2/2020-CI]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित:-

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान अपर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-मुंबई को इस अनुरोध के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें।
4. उप निदेशक (सी सेल), राजस्व आसूचना निदेशालय(मुख्यालय), नई दिल्ली- को इस अनुरोध के साथ कि वे उनसे संबन्धित कारण बताओ नोटिस के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें।